

## क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रमाण-पत्र

छपरा जिलाअन्तर्गत सोनपुर-दरीहारा (000-21.000 कि०मी०) पथांस के चौड़ीकरण एवं सुद्धीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 24.15 हे० वन भुमी में अपयोजन विरुद्ध 48.30 हे० अवकृष्ट वन में क्षतिपूरक हेतु प्राक्कलन रोहतास प्रक्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड के अन्तर्गत मौजा तिउरा, थाना न० 639 है जो कुल रकवा 55 हे० शुद्ध रकवा 49 हे० क्षतिपूरक वनिकरण हेतु वन भूमी उपयुक्त है।

  
11/08/17

प्रभारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,  
रोहतास वन प्रक्षेत्र।

  
11/08/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।